

**No.20034/333/2022-Security
Government of India
Ministry of Home affairs
IS-I Division, Security Desk**

**Room No.35051, 5th Floor,
Kartavya Bhawan-03, New Delhi
Dated: 5th June, 2026**

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Guidelines for National Security Clearance for projects Solar/Wind/
Hybrid Project in Border Areas.**

The undersigned is directed to enclose herewith a copy of guidelines for National Security Clearance projects for Solar/ Wind/Hybrid Project in Border Areas. All concerned are requested to take necessary action for due compliance.

Encl : As above.


**(Harsh Prabha Arora)
Section Officer (S)
Ph: 24010139**

1. Secretary, Ministry of Defence, Kartavya Bhawan-02, Room No. 25066, 6th Floor, New Delhi- 110001.
2. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Atal Akshay Urja Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110001.
3. Director, Intelligence Bureau, Room No.60132, Kartavya Bhawan-03, New Delhi- 110001.
4. Director General, Border Security Forces, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110001.
5. Chief Secretary, Govt. of Gujarat.

Copy for information:

1. Union Home Secretary.

Exchng

सीमावर्ती क्षेत्रों में सौर / पवन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की उपयुक्तता को देखते हुए इस संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से कई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और सहमति से इन क्षेत्रों में सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, व्यापार-करने-में-सरलता को भी ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से एकरूप, पारदर्शी मंजूरी प्रक्रिया सुनिश्चित किया जा रहा है।

2. दिशा निर्देश का क्षेत्राधिकार

यह दिशा-निर्देश नियंत्रण रेखा (LOC)/ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित सभी सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होगा।

नोट: यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी परियोजनाएं जिन्हें यह दिशा निर्देश जारी होने से पूर्व में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त है, उन्हें फिर से इस दिशा निर्देश के तहत आवेदन देना आवश्यक नहीं होगी। इसी तरह यदि किसी आवेदक ने रक्षा मंत्रालय से अपने परियोजना के लिए अनापति पत्र (NOC) प्राप्त कर लिए हो तो इस दिशा निर्देश के तहत उन्हें फिर से अनापति पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ

इन दिशा-निर्देश में:

(क) "संवेदनशील क्षेत्र" का तात्पर्य उन क्षेत्रों से होगा जोकि नियंत्रण रेखा (LOC)/ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर (कि.मी.) के भीतर का क्षेत्र। इस क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LOC)/ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)/

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

फा. सं. 20034/333/2022-Security

दिनांक 5 जून 2026

अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 कि.मी. के भीतर, रक्षा मंत्रालय से अलग से अनापति पत्र (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(ख) "प्रतिबंधित क्षेत्र" का तात्पर्य उन क्षेत्रों से होगा जोकि नियंत्रण रेखा (LOC)/ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 कि.मी. के भीतर का क्षेत्र।

(ग) "परियोजना क्षेत्र" का तात्पर्य उन क्षेत्रों से होगा जोकि सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया क्षेत्र हो।

(घ) "राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी" का तात्पर्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा मंजूरी होगा।

(ड) "अनापति पत्र" का तात्पर्य रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अनापति पत्र होगा।

4. सुरक्षा मंजूरी (गृह मंत्रालय से) और अनापति पत्र (रक्षा मंत्रालय से) प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

नियंत्रण रेखा (LOC) / वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) / अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं को सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निम्न है :

(क) 50 कि.मी. के भीतर सभी सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी आवश्यक होगी।

(ख) 1 किमी क्षेत्र पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी परियोजना गतिविधि इस क्षेत्र में अनुमन्य नहीं होगी।

(ग) 1 कि.मी. से 50 कि.मी. तक स्थित क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी, अथवा 1 कि.मी. से 20 कि.मी. क्षेत्रों में अनापति पत्र प्रदान करने हेतु मूल्यांकन गृह मंत्रालय/ रक्षा मंत्रालय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा।

- (घ) सभी सौर, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के आवेदन केवल नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा परियोजना को भूमि आवंटन करने की सैद्धांतिक मंजूरी, जिससे अक्षांश (latitude) और देशांतर (longitude) स्पष्ट होता है, कि सुचना के साथ ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने हेतु, और रक्षा मंत्रालय से अनापति पत्र प्राप्त करने हेतु प्रेषित करेगा। कोई भी राज्य सरकार या परियोजना प्रस्तावक सीधे गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय को आवेदन नहीं करेगा।
- (च) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि आवंटन इस प्रकार किया जाए कि निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर लंबी दूरी तक न फैले।
- (छ) समान प्रकृति की परियोजनाओं के लिए समानता (Natural Justice) के सिद्धांत का पालन किया जाएगा।
- (ज) प्रस्ताव में व्यापक सुरक्षा उपाय (जैसे ड्रोन-रोधी प्रणाली उपकरण) शामिल होंगे; संचालन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) / राज्य पुलिस द्वारा किया जाएगा, और इन उपकरणों का व्यय परियोजना प्रस्तावक वहन करेगा।
- (झ) यदि प्रस्तावित परियोजना में विदेशी पूंजी निवेश करने की प्रस्तावना हो तो इसे भारत सरकार के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (FDI policy) के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) को अलग से आवेदन करना होगा।
- (ण) गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने हेतु, और रक्षा मंत्रालय से अनापति पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, परियोजना प्रस्तावक को अंतिम निर्णय से अवगत कराएगा।
- (ट) जहाँ तक संभव हो, प्राप्त प्रस्तावों का निपटान गृह मंत्रालय द्वारा 60 दिनों में किया जायेगा।

5. परियोजनाएं पर लागू शर्तें

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राज्य सरकार के समन्वय से यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना को संचालित करने/ शुरू करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- (i) परियोजना कार्यान्वयन आवेदक को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति, जिसमें गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी शामिल है, के बिना किसी विदेशी कंपनी को जमीन नहीं देनी चाहिए।
- (ii) परियोजना कार्यान्वयन आवेदक को विशेष रूप से पाकिस्तान/ बांग्लादेश/ चीन से भू-सीमा देशों के इंजीनियरों/ कर्मचारियों/ कर्मचारियों/ श्रमिकों को संलग्न बिना केंद्र सरकार के अनुमति से नहीं करना चाहिए।
- (iii) परियोजना कार्यान्वयन आवेदक के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- (iv) परियोजना के निर्माण/स्थापना के दौरान, परियोजना के लिए काम करने वाले निर्माण श्रमिकों की जांच और निगरानी के लिए एक समर्पित पुलिस चौकी स्थापित/ पुलिस चौकी से संलग्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्र में आने वाले विदेशी नागरिकों पर नजर रखी जानी चाहिए।
- (v) प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन करते समय पर्याप्त रूप से चौड़ी सड़कों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में आवश्यक होने पर सीमा सुरक्षा / सशस्त्र बलों द्वारा भी किया जा सकता है।
- (vi) परियोजना कार्यान्वयन आवेदक के कर्मचारियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूर्व सत्यापित किया जाना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय

सीमा पर तैनात स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए।

(vii) इस क्षेत्र में कोई भी आवास/कैफेटेरिया/आवास आदि सुविधाएं, जहां भीड़ एकत्र हो सकती है और सुरक्षा व्यवस्था सुस्त है, की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आवास/होटल सीमा से कम से कम 5 किमी दूर बनाए जाने चाहिए और कैफेटेरिया संयंत्र परिसर के भीतर होने चाहिए।

(viii) संवेदनशील क्षेत्र में रखरखाव और संचालन के लिए **नागरिक अवसंरचना** (civil infrastructure), जैसे कि प्रशासनिक ब्लॉक/केंद्रीय नियंत्रण कक्ष/ कर्मचारी आवास कॉम्प्लेक्स/ गोडाउन/ अन्य परियोजना प्रबंधन और समर्थन संबंधी अवसंरचना, कि उंचाई निम्न होगी:

नियंत्रण रेखा/ वास्तविक नियंत्रण रेखा/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरी	अनुमत अवसंरचना की अधिकतम उंचाई
1 कि.मी. से 8 कि.मी. तक	3 मीटर तक
8 कि.मी. से 20 कि.मी. तक	5 मीटर तक
20 कि.मी. से 50 कि.मी. तक	15 मीटर तक

नोट: यह परियोजना के बुनियादी ढांचे जैसे कि पवन चक्की इत्यादी पर लागू नहीं होंगे।

6. दिशा निर्देश पर स्पष्टीकरण देने की शक्तियां

इन दिशा निर्देश या इन में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया में कोई भी संदेह हो तो गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा-1 विभाग में संयुक्त सचिव / अपर सचिव को पत्र भेजा जा सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण अंतिम माना जायेगा।

7. दिशा निर्देश लागू होने की दिनांक

यह दिशा निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी होने वाले दिनांक से लागू होंगे।